न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री नरपत मदारी पुत्र जाईताजी, जाति- मदारी, निवासी- सुमेरपुर, हाल- सिरोही, तह. व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 03/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 25 सितम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 58/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 बाबत ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.1100 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माना आरोपित करने व मौके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत संस्थित कार्यवाही में अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई व अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये व लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। यह कि ग्राम सिरोही के नये खसरा संख्या 3384 के पुराने खसरा संख्या 2606/1 है। उक्त भूमि नगर परिषद् क्षेत्र सिरोही में स्थित है जिस पर स्वर्गीय श्री ओटाराम पुत्र कनीराम जी, जाति- सगरवंशी, निवासी- सिरोही का पुराना कब्जा था तथा उक्त भूमि पर ओटाराम का पुराना आवासीय कच्चा ढालिया व मकान बना हुआ था।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि का कब्जा ओटाराम जी द्वारा अपनी पत्नि धनुदेवी पत्नि ओटाराम जी सगरवंशी तथा अपनी पुत्री किरण पुत्री ओटाराम जी सगरवंशी को अपने जीवनकाल में ही जरिये इकरारनामा के सुपर्द कर कब्जा दिया था। ओटाराम जी की मृत्यु के बाद से उक्त भूमि पर लगातार उनके वारिसान की हैसियत से श्रीमती धनुदेवी पत्नि ओटाराम जी सगरवंशी तथा किरण सगरवंशी काबिज है तथा उपयोग कर रही है। उक्त पुराने कब्जे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। यह कि श्रीमती धनुदेवी पत्नि ओटारामजी ने अपने कब्जे की आवासीय भूमि व मकान को नियमन कराने हेतु नगर परिषद्, सिरोही में आवेदन किया था जिस पर नगर परिषद्, सिरोही द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भूमि के प्रतिफल की राशि प्राप्त कर धनुदेवी पत्नि ओटाराम जी सगरवंशी के हक में भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किया गया है जिसके पट्टा विक्रय पत्र संख्या 19, रजिस्टर संख्या 3, पत्रावली संख्या 42, पट्टा नियमन वर्ष 2015 दिनांक 10.7.2015 है। उक्त पट्टा उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीकृत है जिसके पंजीयन संख्या 1445/2015 दिनांक 10.7.2015 है। जिससे उक्त भूमि श्रीमती धनुदेवी के पट्टाशुदा भूमि है। उक्त भूमि की श्रीमती धनुदेवी स्वामी होने से उक्त पट्टा की भूमि में से अपीलार्थी नरपत मदारी की पत्नि श्रीमती रेती ने धनुदेवी से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 490/2016 दिनांक 31.3.2016 व पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 489/2016 दिनांक 31.3.2016 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसके दस्तावेज अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे उस पर अधीनस्थ न्याालय ने गौर नही किया है। यह कि अपीलार्थी की पत्नी उक्त विवादित भूमि पर बतौर मालिक काबिज है। अपीलार्थी की पत्नि ने उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा विधिक रुप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी उक्त सम्पति का न तो स्वामी है तथा न ही अपीलार्थी का विवादित सम्पति पर कब्जा है उसके बावजूद भी अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की पत्नि रेती देवी जो कि उक्त सम्पति की स्वामी है को कोई नोटिस नही दिया है व न ही अपीलार्थी की पत्नी को अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। यह कि धनुदेवी के विरुद्ध पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल करने का आदेश पारित किया था जिसके विरुद्ध धनुदेवी द्वारा एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसके अपील संख्या 33/2009 है जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 26.9.2009 को निर्णय होकर धनुदेवी का उक्त भूमि पर कब्जा पुराना नियमन योग्य होने से बेदखली आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था, जिसके बाद धनुदेवी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही हुई एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित किया है। यह कि विवादित भूमि राजस्व भूमि नही है। नगर परिषद्, सिरोही द्वारा पट्टा जारी किये जाने के बाद उक्त भूमि आवासीय भूमि है जिसके संबंध में कार्यवाही करने का

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। यह कि नगर परिषद्, सिरोही द्वारा धनुदेवी के पक्ष में उक्त भूमि का प्रतिफल राशि लेकर नियमन करते हुए आवासीय पट्टा जारी किया गया है एवं नगर परिषद्, सिरोही द्वारा धनुदेवी के हक में जारी पट्टा अस्तित्व में है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नही किया गया है, इस कारण पट्टा शुदा भूमि से बेदखल करने का पारित आदेश विधि विरुद्ध है। यह कि अपीलार्थी की पत्नी ने धनुदेवी से विवादित भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था एवं जब तक पंजीकृत विक्रय विलेख को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक विवादित भूमि से बेदखल करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 1995(2)RBJ Page 460, RRT2003(2)Page 1303, 2011(2)RRT Page 1413, RRT2006(1) Page 661, RBJ(19) 2012 Page 312, RBJ(11)2004 Page 83, RLW 2006(1) Page 158, RRT 2002(2) Page 1300 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम भूमि होने से बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही-II द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.1100 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

25/12

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested